

सं. ए-43011 / 157 / 2019-आरटीआई  
भारत सरकार  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,  
सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,  
नई दिल्ली-110003  
तारीख: 01 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : श्री मंतोष कुमार, डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, पुरुष छात्रावास, ब्लॉक 1,  
कमरा नं.- 203, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,  
2005 के अधीन मांगी गई सूचना।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 6 (3) के अंतर्गत, अधीकारी को आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना से संबंधित आरटीआई आवेदन दिनांक रहित (जो इस विभाग के आरटीआई सेल में 31.07.2019 को प्राप्त हुआ) की एक प्रति इसके साथ अपेक्षित करने का निर्देश हुआ है। आरटीआई आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 (4) एवं 5 में निहित अनुदेशों के तहत संबंधित जन सूचना अधिकारी/ सार्वजनिक प्राधिकरण आवेदक को निर्धारित समय के भीतर मांगी गई सूचना देने के लिए उत्तरदायी हैं।

3. सूचना भेजते/प्रदान करते/प्रेषित करते समय आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं पता भी सूचित करें, ताकि आवेदक सूचना से असंतुष्ट होने पर अपील कर सके।

उत्तर मंडल 01/08/2019  
(ए. के. मण्डल)

अवर सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन: 24369068

सलग्न यथोपरिप्रेषित :

1. श्री डी. के. पांडा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
2. श्री संजय सिंह, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
3. श्रीमती भीना कुमारी शर्मा, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
4. श्री एस. के. मेहता, सीपीआईओ एवं अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, नई दिल्ली।
5. नोडल अधिकारी (आरटीआई) एवं सीपीआईओ, आरटीआई सेल, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संगलन सूची के अनूसार)
6. नोडल जनसूचना अधिकारी (आरटीआई) एवं पीआईओ, आरटीआई सेल, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें। (संगलन सूची के अनूसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :

श्री मंतोष कुमार, डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, पुरुष छात्रावास, ब्लॉक 1, कमरा नं.- 203, मोहन रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017:- आपका आरटीआई आवेदन दिनांक रहित (जो इस विभाग के आरटीआई सेल में 31.07.2019 को प्राप्त हुआ) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत संबंधित सीपीआईओ/ सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर दिया गया है। आवेदक को इस मामले में आगे की सूचना के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ/ सार्वजनिक प्राधिकरणों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

सेता में,

जन सूचना अधिकारी  
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के सन्दर्भ में।  
महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि मैं मंतोष कुमार एक हस्टिडिव्यांग नागरिक हूँ। मैं विभाग से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ, जो कि निम्न प्रकार हैं-

1- वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों में दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित पदों को भरने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अन्यर्थियों के नाम, दिव्यांगता का प्रकार, प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ प्रदान करें।

2- वर्तमान तिथि तक भारत सरकार के विभिन्न निकायों के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण हस्टिडिव्यांग व अल्प हस्टिडिव्यांग अन्यर्थियों का नाम उनके हस्टिडिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अन्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।

3- वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए पदों की सम्पूर्ण सूची अन्यर्थियों के नाम दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत, पद नाम व विभाग के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।

4- वर्तमान तिथि तक विभिन्न राज्यों में दिव्यांगजनों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति दिलाने हेतु बैकलॉग के अंतर्गत भरे गए कुल पदों में पूर्ण हस्टिडिव्यांग व अल्प हस्टिडिव्यांग अन्यर्थियों का नाम उनके हस्टिडिव्यांगता का प्रतिशत, पद नाम, विभाग व श्रेणी सहित सम्पूर्ण विवरण सभी अन्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) के अंतर्गत प्रदान करें।

5- भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में दिव्यांगजनों की एकत्र पहचान हेतु स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की व्यवस्था आरम्भ की गयी, इस सन्दर्भ में वर्तमान तिथि तक प्रत्येक राज्यवार जारी किये गए स्वावलम्बन कार्ड (UDID) की सम्पूर्ण सूची प्रदान करें।

6- भारत सरकार द्वारा स्वावलम्बन कार्ड (UDID) को पूरे देश में एक समान रूप से मान्य बनाने के उद्देश्य से वर्तमान तिथि तक की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेज प्रदान करें।

7- भारत सरकार द्वारा सन 2008 में दिव्यांगजनों हेतु सामान अवसर व सम्पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी संघीय पत्र (UNCRPD) को हस्ताक्षरित व अनुमोदित किया गया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि उपरोक्त संधिपत्र को अनुमोदित करने वाला प्रत्येक राष्ट्र

3 वर्ष के अंतराल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा उपरोक्त विषयक गठित आर.पी.डी समिति के समक्ष अपनी प्रगति आख्या प्रस्तुत करेगा। इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर.पी.डी समिति के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रगति आख्या की प्रतिलिपि प्रदान करें।

4- भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत इंस्टिट्यूशनों को कौशल विकास का प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी ऐसे सभी केंद्रों का नाम, प्रत्येक वर्ष के अनुसार प्रत्येक केंद्र को उपलब्ध कराई गयी राशि, प्रत्येक केन्द्रवार प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले साभारीयों का विवरण उनके इंस्टिट्यूशनों प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ प्रदान करें।

5- भारत सरकार द्वारा वर्तमान तिथि तक सुगम्य भारत योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु यातायात सुगम्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी कार्यवाही सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

10- नेशनल हैंडीकॅप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान तिथि तक दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी छनाने के उद्देश्य से प्रदान किये गए क्रण सुविधा सम्बन्धी दस्तावेज जिसमें कि साभारी का नाम, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र व विकलांगता का विवरण शामिल हो, की छायाप्रति प्रदान करें।

11- नेशनल हैंडीकॅप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों को स्वावलम्बी छनाने के उद्देश्य से घलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण तथा उसका लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी नियमादली की प्रतिलिपि प्रदान करें।

12- नेशनल हैंडीकॅप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च शिक्षा में अध्यक्षरत दिव्यांग छाँवों को नेशनल फण्ड व ट्रस्ट फण्ड के माध्यम से छाव्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। इस सन्दर्भ में सूचना प्रदान करें कि उपरोक्त योजना को समाप्त करने के पीछे क्या कारण था, साथ ही योजना को समाप्त करते समय ऐसे छाँव जिनकी गत वर्ष व वर्तमान वर्ष की छाव्रवृत्ति आवेदन करने के पश्चात भी नहीं प्राप्त की जा सकी ऐसे छाँवों का सम्पूर्ण विवरण क्षरण सहित प्रदान करें।

13- दिनांक ४ फरवरी 2019 को विभाग की सचिव महोदया की आधिकारियों की सामूहिक बैठक संपन्न कराई गयी जिसके कार्यवृत भी तैयार कराये गए थे। इस सन्दर्भ में उपरोक्त कार्यवृत के आधार पर मंत्रालय द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न राज्यसरकारों से प्राप्त आख्या जो कार्यवृत के आधार पर मांगी गयी थी, की छायाप्रति प्रदान करें।

14- वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा इंस्टिट्यूशनों हेतु ब्रेल लिपि में पुस्तक तैयार करने के उद्देश्य से लगाए गए सभी ब्रेल प्रेसों का विवरण, सम्बंधित संस्थान का नाम ब्रेल प्रेस हेतु प्रदान की गयी राशि व स्थापित ब्रेल प्रेस के पते सहित प्रदान करें।

15- कृपया सूचना प्रदान करें कि इंस्टिट्यूशनों हेतु पदों को यिन्हांकित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय तक कुल कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं। प्रत्येक समिति का सम्पूर्ण विवरण प्रदान करने के साथ साथ अंतिम यिन्हांकित पदों की प्रतिलिपि प्रदान करें।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त 15 बिंदुओं से सम्बंधित सूचना दिल्यांगजल अधिकार अधिनियम- 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरी ईमेल ([mantosh.kmr.1@gmail.com](mailto:mantosh.kmr.1@gmail.com)) पर अथवा अन्य माध्यमों से पूर्णतः सुगम्य प्रारूप (Accessible Format) में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

मंतोष कुमार

संघिव, होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्था व  
शोधार्थी

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्जीव संशोधन विश्वविद्यालय  
पुरुष छविवास

ब्लॉक १, कमरा संख्या-203

मोहन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 226017

मो०-9012578769 ई-मेल-[mantosh.kmr.1@gmail.com](mailto:mantosh.kmr.1@gmail.com)

संलग्नक- रु० 10/- पोस्टल आर्डर सं०- 549547